


कार्यलय आदिम जाति ,अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

जिला राजगढ़

सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष .2005

कार्यालय जिला संयोजक, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जिला राजगढ़ का संरचनात्मक ढांचा



अध्याय—1
प्रस्तावना

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 :-

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के क्रिया कलाप में पारदर्शिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है ।

1.2 उद्देश्य :-

मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जनता की ओर से जनता के लिये शासन संचालन में सरकार और सरकारी मशीनरी ,जनता के प्रति उत्तरदायी हो साथ ही सरकार और उसकी मशीनरी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता हों ।

1.3 यह पुस्तिका किन व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों इत्यादि के लिए उपयोगी है :-

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के हितग्राहियों जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने हेतु अति उपयोगी है ।

1.4 हस्त पुस्तिका का प्रारूप :-

सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के प्रावधानों अनुसार ।

1.5 परिभाषा :- इन नियमों में परिभाषाएं निम्नांकित होंगी :-

1. राज्य शासन से आशय मध्यप्रदेश शासन से हैं ।
2. कलेक्टर से आशय मध्यप्रदेश के यथा उल्लेखित राजगढ़ जिले के कलेक्टर, से हैं ।
3. अनुसूचित जाति से आशय संविधान के अनुच्छेद 341 में इस राज्य के लिये परिभाषित ' अनुसूचित जाति से हैं ।
4. आदिवासी से आशय से संविधान के अनुच्छेद 341 में इस राज्य के लिये परिभाषित अनुसूचित जनजाति हैं ।
5. राहत से अभिप्राय नियम के अधीन प्राधिकारी द्वारा जरूरत मंद अनुसूचित जाति,जनजाति के व्यक्तियों द्वारा अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के लिये स्वीकृत नगद आर्थिक सहायता से है यह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं मानी जाएगी और यह अधिकार के रूप में स्वीकृत नहीं की जा सकेगी ।
6. गैर सरकारी संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 अथवा म0प्र0 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 के अधीन या दस्तावेजों या ऐसे संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के लिये तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई स्वेच्छिक संगठन अभिप्रेत है ।

7. छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहन वृत्तियों से आशय केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के हितार्थ संचालित योजनाओं के अन्तर्गत दी जा रही आर्थिक सहायता से हैं ।
8. उन शब्दों और मद्दों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी क्रियान्वित अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः इन अधिनियमों / विनियमों / योजनाओं आदि में हैं ।

1.6 हस्तपुस्तिका में समायोजित विषयों के संबंध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिये संपर्क व्यक्ति :-

सहायक लोक सूचना अधिकारी(क्षेत्र संयोजक,
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, जिला
राजगढ़

लोक सूचना अधिकारी (जिला संयोजक,
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग,
जिला राजगढ़

1.7 हस्तपुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क :-
सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार ।

अध्याय -2 (मैनुअल -1)

संगठन की विशिष्टियां ,कृत्य एवं कर्तव्य

- 2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य :- अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं विकास,
- 2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन /विजन :- शासन की नीतियों का उपरोक्त वर्गों के हित में प्रभावी क्रियांवयन ।
- 2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग :- संवैधानिक प्रावधानों के अधीन गठित विभाग है ।
- 2.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य :- शासन की नीतियों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के हित में निर्देशानुसार लागू करना ।
- 2.5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण एवं विकास
- 2.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :- सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अध्याय 2 की धारा 4 में वर्णित प्रावधानों अनुसार ।
- 2.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन,निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा (जहां लागू हो):-
प्रस्तुत की जा रही तालिका अनुसार ।
- 2.8 लोक प्राधिकरण की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन-सहयोग की अपेक्षाएं :- जनसहयोग से विभागीय योजनाओं का क्रियानवयन किया जा रहा है ।
- 2.9 जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि/व्यवस्था :- शासन द्वारा जारी आदेशानुसार ।

2.10 जनसेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :- अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार एवं शासन द्वारा लागू 11 सूत्रीय कार्यक्रम एवं सूचनाओं के अधिकार के तहत ।

2.11 कार्यलय के खुलने का समय :- प्रातः 10:30

2.12 कार्यलय के बंद होने का समय :- सांयकाल 5:30

अध्याय 3 (मैनुअल -2)

अधिकारियों के प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार का विवरण :-

पद का नाम	जिला संयोजक	
शक्तियां	प्रशासकीय	1. प्रशासकीय अधिकार प्रदत्त हैं.
	वित्तीय	आहरण एवं संवितरण के अधिकार प्रदत्त हैं.
	अन्य	1. विभागान्तर्गत कार्यालय एवं संस्थाओं के नियंत्रण संबंधी अधिकार प्रदत्त हैं.
कर्तव्य	1. जिला अधिकारी की हैसियत से कार्यालय प्रमुख के रूप में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण ।	

अध्याय -4 (मैनुअल -3)

कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनियम ,अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

List of Acts, Rules, Regulation, Manuals, Circulars :-

Acts	1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
Rules	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता) योजना नियम- 1995 2. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979 (यथा संशोधित) 3. अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना नियम 4. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियम 5. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना नियम 6. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना नियम 7. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति शिष्यवृत्ति योजना नियम 8. अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम 9. अनुसूचित जनजाति सामूहिक विवाह योजना नियम 10. पिछड़ा वर्ग सामूहिक विवाह योजना नियम 11. मध्यप्रदेश अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 12. मध्यप्रदेश बांछड़ा-बेड़िया सजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 13. अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार-प्रसार एवं सद्भावना शिविर योजना नियम 14. अस्पृश्यता निवारणार्थ आदर्श ग्राम पंचायत पुरुरस्कार योजना नियम 15. विधि स्नाताकों को आर्थिक सहायता योजना नियम 16. स्थानीय दाईयों को प्रोत्साहन योजना नियम 17. अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियां संचालन हेतु मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना नियम 18. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना नियम-2004 19. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश 20. उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना नियम 21. अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 22. अनाबद्ध राशि योजना नियम 23. अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण योजना नियम 24. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग विधार्थी कल्याण योजना नियम 25. अनुसूचित जाति, जनजातियों के विधार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों को प्रोत्साहन योजना नियम

उपरोक्त अधिनियम/नियमों तथा निर्देशों की प्रतियां कार्यालय में उपलब्ध हैं, कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं ।

Regulation	निरंक
Manuals	निरंक
Circulars	<p>26. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता) योजना नियम- 1995</p> <p>27. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979 (यथा संशोधित)</p> <p>28. अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना नियम</p> <p>29. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियम</p> <p>30. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना नियम</p> <p>31. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना नियम</p> <p>32. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति शिष्यवृत्ति योजना नियम</p> <p>33. अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम</p> <p>34. अनुसूचित जनजाति सामूहिक विवाह योजना नियम</p> <p>35. पिछड़ा वर्ग सामूहिक विवाह योजना नियम</p> <p>36. मध्यप्रदेश अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम</p> <p>37. मध्यप्रदेश बांछड़ा-बेड़िया सजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम</p> <p>38. अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार-प्रसार एवं सद्भावना शिविर योजना नियम</p> <p>39. अस्पृश्यता निवारणार्थ आदर्श ग्राम पंचायत पुररुस्कार योजना नियम</p> <p>40. विधि स्नाताकों को आर्थिक सहायता योजना नियम</p> <p>41. स्थानीय दाईयों को प्रोत्साहन योजना नियम</p> <p>42. अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियां संचालन हेतु मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना नियम</p> <p>43. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना नियम-2004</p> <p>44. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश</p> <p>45. उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना नियम</p> <p>46. अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम</p> <p>47. अनाबद्ध राशि योजना नियम</p> <p>48. अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण योजना नियम</p> <p>49. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग विधार्थी कल्याण योजना नियम</p> <p>अनुसूचित जाति, जनजातियों के विधार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों को प्रोत्साहन योजना नियम</p>

अध्याय –5 (मैनुअल –4)

**नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श
के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण**

क्या लोक प्रधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के सम्बन्ध में जनता या जन प्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है ? यदि हां तो व्यवस्था का विवरण निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है :-

क्र०सं०	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हां/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था
1	2	3	4
1	अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति	जनप्रतिनिधि की भागीदारी का प्रावधान है	नियमानुसार समिति का गठन किया गया है
2	छात्रावास/आश्रम प्रवेश समिति	जनप्रतिनिधि की भागीदारी का प्रावधान है	नियमानुसार समिति का गठन किया गया है
3	सामग्री क्रय हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति	मान. प्रभारी मंत्रों जी की भागीदारी का प्रावधान है	नियमानुसार समिति का गठन किया गया है
4	अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत पुलिस में पंजीकृत प्रकरणों में राहत स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय राहत समिति	जनप्रतिनिधि की भागीदारी का प्रावधान नहीं है	नियमानुसार समिति का गठन किया गया है

विभागन्तर्गत जिला स्तर पर गठित विभिन्न समितियों का विवरण :-

क्रं.	समिति का नाम	समिति के कर्तव्यों एवं दायित्वों का विवरण	समिति में नामंकित सदस्यों का विवरण	नांमाकित सदस्य का पदैन	नांमाकन आदेश क्रमांक एवं दिनांक	बैठक आयोजन हेतु निर्धारित समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन हेतु सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति	अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत पंजीकृत अपराधों में राहत स्वीकृति, पूनर्वास सहायाता की समीक्षा करना।	<ol style="list-style-type: none"> मान्. श्री लक्ष्मणसिंहजी, सांसद लोक सभा क्षेत्र राजगढ़ मान्. श्री पं.हरिचरणजी तिवारी, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ मान्. श्री बद्रीलालजी यादव, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा मान्. श्री मोहन शर्मा जी, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ मान्. श्री अमरसिंह जी, कोठार, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र, सारंगपुर मान्. श्री प्रियवृत्तसिंह जी,, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र, खिलचीपुर कलेक्टर, जिला राजगढ़ पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ जिला संयोजक,आ.जा.क. जिला राजगढ़ अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति से संबंधित राज्य सरकार की तीन समूह "क" अधिकारी /राजपत्रित अधिकारी :- श्री व्ही.एस. बिसारिया, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़ डॉ आर.कुमार, मेडीकल आफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उदन खेड़ी (पचोर) श्री.पी.डी. टेलर, प्राचार्य उ.मा.वि. सुठालिया 	<p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य / सचिव</p> <p>सदस्य (अनु.जा.अधि.)</p> <p>सदस्य (अनु.जा.अधि.)</p> <p>सदस्य (अनु.जा.अधि.)</p>	1751 / अत्याचार निवारण / 2006-07 राजगढ़ दिनांक 25.9.2006	प्रत्येक तीन माह में बैठक आयोजित

			<p>अनु.जाति/जनजाति से संबंधित गैर सरकारी सदस्य :-</p> <p>13 श्री मोहन मालवीय, ग्राम रामपुरिया तह.सारंगपुर</p> <p>14 श्री मखलेश चौहान, ब्यावरा जिला राजगढ़</p> <p>15 श्री भागीरथ वर्मा, खुजनेर जिला राजगढ़</p> <p>16 श्री दिलीप वंशकार सारंगपुर जिला राजगढ़</p> <p>17 श्री रामलाल भिलाला ग्राम बोड़ा तह. नरसिंहगढ़</p> <p>18. श्री के. एस. भारतीय, (अजाक्स) जिला अध्यक्ष जिला राजगढ़</p> <p>अनु.जाति/जनजाति से भिन्न प्रवर्ग से गैर सरकारी सदस्य :-</p> <p>19 .श्री रमेश चंद गुप्ता ठाकुर राजगढ़</p> <p>20 श्री माँगीलाल, रूपपुरा खिलचीपुर जिला राजगढ़</p> <p>21 श्री अरुण शर्मा मेन बाजार जीरापुर</p>	<p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>पदेन</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>		
2.	<p>अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत पुलिस में पंजीकृत प्रकरणों में</p>	<p>पुलिस से प्राप्त राहत प्रकरणों की समीक्षा कर आकस्मिकता नियम 1995 में निहित प्रावधानों के तहत पीड़ितों को राहत स्वीकृत करना</p>	<p>1. कलेक्टर, जिला राजगढ़</p> <p>2. पुलिस अधीक्षक, जिला राजगढ़</p> <p>3. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण जिला राजगढ़</p>	<p>अध्यक्ष</p> <p>सदस्य</p> <p>सदस्य</p>	<p>अधिनियम के प्रावधानों उल्लेखित निर्देशानुसार</p>	<p>प्रतिमाह एवं आवश्यकता अनुसार समय-समय पर बैठक आयोजित</p>

	राहत स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय राहत समिति					
3	छात्रावास/आश्रम प्रवेश समिति	छात्रावास/अश्रमों में स्वीकृत सीट्स एवं रिक्त सीट्स पर छात्र-छात्राओं का प्रवेश चयन करना	<ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिसके अंतर्गत छात्रावास/आश्रम आता है। 2. संबंधित जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जिसके अंतर्गत छात्रावास/आश्रम आता है। 3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी 4. स्थानीय बालक/कन्या उ.मा.वि. /हाई स्कूल के पाचार्य 5. जिला संयोजक/क्षेत्र संयोजक, आ.जा.क. जिला राजगढ़ 	अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव सदस्य सदस्य/सचिव	1164 /दिनांक 05.07.06	प्रत्येक शिक्षा सत्र में माह जुलाई में बैठक आयोजित की जाती है।

अध्याय – 6 (मैनुअल –5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गो(**categories**) के अनुसार विवरण शासकीय दस्तावेजों की जानकारी :-

क्र०सं०	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1	2	3	4	5
1	लैखा	<ol style="list-style-type: none"> 1. रोकड़ पंजी 2. चैक पंजी 3. बी.टी.बी. 4. दैयक पंजी 5. अस्थाई अग्रिम पंजी 6. नैमेत्तिक व्यय पंजी 7. यात्रा दैयक पंजी 8. जी.पी.एफ. / डी.पी.एफ. पंजी 9. बजट पंजी छात्रावास / आश्रम भवन निर्माण नस्थी सूचना के अधिकार / सिटीजन चार्टर पंजी 	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक / केशियर
2	स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> 1. पी.आई.सी. पंजी 2. सेवा पुस्तिकाओं का संधारण 3. सेवा निवृत्ति पंजी 4. कर्मचारियों की सामान्य जानकारी से संबंधित पंजी 	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक / स्थापना प्रभारी लिपिक
3	भण्डार	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्टेशनरी पंजी 2. गणवेश प्रदाय स्टाक पंजी 3. छात्रावास-सामग्री स्टाक पंजी 4. छात्रावास-आश्रम सामग्री नस्थी 5. गणवेश कय नस्थी 	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक / शाखा प्रभारी लिपिक

4	छात्रावास-आश्रम	1. छात्रावास-आश्रम प्रवेश नस्थी 2. चैक पंजी (संस्थाओं का) 3. संस्थाओं में प्रवेशित विधार्थियों को शिष्यवृत्ति वितरण लेजर	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक/शाखा प्रभारी लिपिक
---	-----------------	--	--------------------	-----------------------------------

5	छात्रवृत्ति	<p>1. शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृतियों की प्रवृष्टि पंजी (राज्य. छात्रवृत्ति वर्गवार)</p> <p>(1)–कक्षा 1 से 5 तक अनु0जाति राज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(2)–कक्षा 6 से 10 अनु0जा0राज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(3)–कक्षा 1 से 5 तक अनु.जनजा. राज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(4)–कक्षा 6 से 10 अनु0जनजातिराज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(5)–विमुक्त जाति राज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(6)–पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति</p> <p>(7)–अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति</p> <p>(8)–अनु.जा.कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना</p> <p>(9)–जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना</p> <p>2. शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त छात्रवृत्ति स्वीकृतियों की प्रवृष्टि पंजी पो. मे. छात्रवृत्ति वर्गवार</p> <p>(1)–अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति</p> <p>(2)–अनुसूचित जन जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति</p> <p>(3)–पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति</p>	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक/शाखा प्रभारी लिपिक
---	-------------	---	--------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
6	योजना	13. अनुसूचित जाति/जन जाति राहत योजना (अत्याचार)निवारण अधिनियम के तहत राहत योजना नस्थी एवं राहत स्वीकृति प्रोसिडिंग पंजी 14. अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979 के तहत राहत स्वीकृति पंजी 15. अनुसूचित जाति /जनजाति सामूहिक विवाह योजना नस्थी 16. पिछड़ा वर्ग सामूहिक विवाह योजना नस्थी 17. म0प्र0 अंतर जातिय विवाह प्रोत्साहन विवाह योजना नस्थी 18. बांछड़ा-बेड़िया सजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नस्थी 19. अस्पृश्यता निवारणार्थ आदेश ग्राम पंचायतों को पुरुस्कार योजना नस्थी /प्रचार-प्रसार एवं सदभावना शिविर आयोजन नस्थी 20. अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजन नियम 2004 नस्थी 21. अनाबद्ध मद योजना नस्थी 22. अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण योजना 23. अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों एवं मजरा टोलों का विधुतीकरण तथा एक बत्ती कनेक्शन तथा विधुत पंपों का उर्जीकरण 24. म0प्र0 अनुसूचित जाति कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना अंतर्गत आवेदन प्राप्त दर्ज पंजी एवं नस्थी 25. ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना नस्थी	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक/शाखा प्रभारी लिपिक

7	आवक-जावक	1. आवक-जावक पंजी 2. स्टाम पंजी 3. विधानसभा पंजी 4. टी.एल.पंजी	शासन निर्देशानुसार	जिला संयोजक / शाखा प्रभारी लिपिक

अध्याय -7 (मैनुअल -6)

बोर्ड ,परिषदो , समितियों एवं निकायो का विवारण

क्र.	सस्था का नाम एवं पता	सस्था का प्रकार	सस्था का संक्षिप्त परिचय	संस्था की भुमिका	स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य	मुख्य अधिकारी का नाम	मुख्य कार्यलय एवं अन्य शाखाओ के पते	बेठक कि आवृत्ति	क्या बेठक में जनता भाग ले सकती है	क्या बेठक कार्यवृत्त तैयार की जाति है	क्या जनता कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है अगर हा तो पक्रिया का विवरण दे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आदिम जाति कल्याण विभाग	समिती	अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति	राहत स्वीकृत एवं वितरण करना	1. मान्. श्री लक्ष्मणसिंहजी, सांसद लोक सभा क्षेत्र राजगढ़ 1. मान्. श्री पं.हरिचरणजी तिवारी, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ 2. मान्. श्री बद्रीलालजी यादव, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र ब्यावरा 3. मान्. श्री मोहन शर्मा जी, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ 4. मान्. श्री अमरसिंह जी, कोठार, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र, सारंगपुर 5. मान्. श्री प्रियवृत्तसिंह जी,, विधायक महो., विधान सभा क्षेत्र, खिलचीपुर 6. कलेक्टर, जिला राजगढ़	कलेक्टर महोदय	कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) जिला राजगढ़	त्रैमासिक	नही	हाँ	अधिनियमो के प्रावधानो के अनुसार जनता कार्य वृत्त प्राप्त कर सकती है
2.											

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
					<p>7. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़</p> <p>8. जिला संयोजक,आ.जा.क. जिला राजगढ़ अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति से संबंधित राज्य सरकार की तीन समूह "क" अधिकारी /राजपत्रित अधिकारी :-</p> <p>10 श्री व्ही.एस. बिसारिया, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजगढ़</p> <p>11. डॉ आर.कुमार, मेडीकल आफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उदन खेड़ी (पचोर)</p> <p>12. श्री.पी.डी. टेलर, प्राचार्य उ.मा.वि. सुठालिया</p> <p>अनु.जाति/जनजाति से संबंधित गैर सरकारी सदस्य :-</p> <p>13 श्री मोहन मालवीय, ग्राम रामपुरिया तह.सारंगपुर</p> <p>14 श्री मखलेश चौहान, ब्यावरा जिला राजगढ़</p> <p>15 श्री भागीरथ वर्मा, खुजनेर जिला राजगढ़</p> <p>16 श्री दिलीप वंशकार सारंगपुर जिला राजगढ़</p> <p>17 श्री रामलाल भिलाला ग्राम बोड़ा तह. नरसिंहगढ़</p> <p>18. श्री के. एस. भारतीय, (अजाक्स) जिला अध्यक्ष जिला राजगढ़</p> <p>अनु.जाति/जनजाति से भिन्न प्रवर्ग से गैर सरकारी सदस्य :-</p> <p>19 .श्री रमेश चंद गुप्ता ठाकुर राजगढ़</p>									

					20 श्री मॉंगीलाल, रूपपुरा खिलचीपुर जिला राजगढ़ 21 श्री अरुण शर्मा मेन बाजार जीरापुर						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत पुलिस में पंजीकृत प्रकरणों में राहत स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय राहत समिति			1. कलेक्टर, जिला राजगढ़ 2. पुलिस अधीक्षक, राजगढ़ 3. जिला संयोजक,आ.जा.क. जिला राजगढ़	कलेक्टर महो.		मासिक	नही	हाँ	हाँ
3		छात्रावास/आश्रम प्रवेश समिति			3. संबंधित जनपद पंचायत के अध्यक्ष, जिसके अंतर्गत छात्रावास/आश्रम आता है 4. संबंधित जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष, जिसके अंतर्गत छात्रावास/आश्रम आता है 5. विकास खंड शिक्षा अधिकारी	कलेक्टर महो.		वार्षिक	नही	हाँ	हाँ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		छात्रावास आश्रम सामग्री क्रय हेतु जिला स्तरीय क्रय समिति			<ol style="list-style-type: none"> 1. कलेक्टर महो जिला राजगढ़ 2. महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र जिला राजगढ़ 3. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला राजगढ़ 4. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़ 	कलेक्टर महो.	0	आवश्यकता अनुसार	नही	हाँ	हाँ

अध्याय –8 (मैनुअल –7)
लोक सूचना अधिकारीयो के नाम ,पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सहायक लोक सूचना अधिकारी :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दुरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यलय	आवास			
1	श्री जगदीश श्रीवास्तव	क्षेत्र संयोजक आ.जा.क.	07372	255263	230048	255263	dm@mprjgrh.mp.nic.in	क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़

लोक सूचना अधिकारी :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दुरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यलय	आवास			
1	श्री अवनीश चतुर्वेदी	जिला संयोजक आ. जा.क.	07372	255263	254425	255263	dm@mprjgrh.mp.nic.in	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़

विभागीय अपीलेंट अथोरिटी :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दुरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यलय	आवास			
1	श्री जी.पी.तिवारी	जिला कलेक्टर	07372	255025	255023	255067	dm@mprjgrh.mp.nic.in	कलेक्ट्रेट राजगढ़

अध्याय -9 (मैनुअल-8)
निर्णय लेने की प्रक्रिया

कार्यालय में अपनाई जाने वाली निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण :-

लेखा शाखा	स्थापना शाखा	भण्डार शाखा	योजना शाखा	छात्रवृत्ति शाखा	सामान्य शाखा
(उपरोक्तानुसार संबंधित शाखाओं के प्रभारी लिपिक)					

क्षेत्र संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला राजगढ़

जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला राजगढ़

कलेक्टर,
जिला राजगढ़

अध्याय –10 (मैनुअल-9)
अधिकारियों और कर्मचारीयों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी कोड	दुरभाष		फैक्स	ई0मेल0	पता
				कार्यलय	आवास			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री अवनीश चतुर्वेदी	जिला संयोजक आ. जा.क.	07372	255263	254425	255263	कउ/उच तरहती णउच णदपबण्णद	जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़
2	श्री जगदीशश्रीवास्तव	क्षेत्र संयोजक आ.जा.क.	07374	255263	230048	255263	कउ/उच तरहती णउच णदपबण्णद	क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़
3	श्री माइकल निनामा	कनि.ले.अधि.	07374	255263	230048	255263	—	भेंवर कालोनी राजगढ़
4	श्री रामप्रसाद मालवीय	लेखापाल	07372	255263	---	---	---	कालाखेत राजगढ़
5	श्री एस0एल0 संजोदिया	लेखापाल	07372	255263	---	---	---	कालाखेत राजगढ़
6	श्री एम0ए0 हाशमी	सहायक ग्रेड-2	07372	255263	---	---	---	पजाबी का बाड़ा राजगढ़
7	श्रीमति स्वर्णलता शर्मा	सहायक ग्रेड-2	07372	255263	---	---	---	मेन मार्केट राजगढ़
8	श्रीमति शहनाज परवीन	सहायक ग्रेड-2	07372	255263	---	---	---	पुरा राजगढ़
9	श्री दुष्यन्त कुमार भटनागर	सहायक ग्रेड-3	07372	255263	---	---	---	खुजनेर रोड़ राजगढ़
10	श्री उमेशसिंह पंवार	सहायक	07372	255263	---	---	---	भंडारागली

		ग्रेड-3						राजगढ़
11	श्री हरिशंकर श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	07372	255263	---	---	---	बासवाड़ा राजगढ़
12	श्री मोतीलाल भिलाला	सहायक ग्रेड-3	07372	255263	---	---	---	भवरकालोनि राजगढ़

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	श्री केलाश चंद्र वर्मा	सहायक ग्रेड-3	07372	255263	---	---	---	पुलिस परेड ग्राउण्ड रोड राजगढ़
14	श्री परमानन्द पाण्डे	सहायक ग्रेड-3	07372	255263	---	---	---	जयस्थंभ चोराहा राजगढ़
15	श्री रामेश चन्द्र सैन	भृत्य	07372	255263	---	---	---	करेड़ी
16	श्री रोड़ा लाल मालवीय	भृत्य	07372	255263	---	---	---	भवरकालोनि राजगढ़
17	श्री अमरसिंह भाटिया	भृत्य	07372	255263	---	---	---	राजगढ़
18	श्री मोजीलाल कुंभकार	भृत्य	07372	255263	---	---	---	भण्डारागली राजगढ़
19	श्री हयात बैग	भृत्य	07372	255263	---	---	---	पुरा राजगढ़
20	श्री रोड़जी सिसोदिया	चोकीदार	07372	255263	---	---	---	परेड़ ग्राउण्ड रोड़ राजगढ़

अध्याय-11 (मैनुअल -10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक ओर उसके निर्धारण की पद्धति से संबंधित जानाकारी :-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मासिक पारिश्रमिक	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई हो
1	2	3	4	5	6
1	श्री अवनीश चतुर्वेदी	जिला संयोजक	12400 /-	---	नियमानुसार
2	श्री जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव	क्षेत्र संयोजक	9765 /-	---	नियमानुसार
3	श्री माइकल निनामा	कनि.ले.अधि.	11644 /-	-	नियमानुसार
4	श्री रामप्रसाद मालवीय	लेखापाल	9450 /-	---	नियमानुसार
5	श्री एस0एल0 संजोदिया	लेखापाल	9450 /-	---	नियमानुसार
6	श्री एम0ए0 हाशमी	सहायक ग्रेड-2	9450 /-	---	नियमानुसार
7	श्रीमति स्वर्णलता शर्मा	सहायक ग्रेड-2	8978 /-	---	नियमानुसार
8	श्रीमति शहनाज परवीन	सहायक ग्रेड-2	7718 /-	---	नियमानुसार
9	श्री दुष्यन्त कुमार भटनागर	सहायक ग्रेड-3	7230 /-	---	नियमानुसार
10	श्री उमेशसिंह पंवार	सहायक ग्रेड-3	6726 /-	---	नियमानुसार
11	श्री हरिशंकर श्रेणी	सहायक ग्रेड-3	6726 /-	---	नियमानुसार
12	श्री मोतीलाल भिलाला	सहायक ग्रेड-3	6414 /-	---	नियमानुसार
13	श्री केलाश चंद्र वर्मा	सहायक ग्रेड-3	5867 /-	---	नियमानुसार
14	श्री परमानन्द पाण्डे	सहायक ग्रेड-3	6600 /-	---	नियमानुसार
15	श्री रामेश चन्द्र सैन	भृत्य	5093 /-	---	नियमानुसार
16	श्री रोड़ा लाल मालवीय	भृत्य	5070 /-	---	नियमानुसार
17	श्री अमरसिंह भाटिया	भृत्य	5093 /-	---	नियमानुसार
18	श्री मोजीलाल कुंभकार	भृत्य	4990 /-	---	नियमानुसार

19	श्री हयात बैग	भृत्य	5070 / -	--	नियमानुसार
20	श्री रोड़जी सिसोदिया	चोकीदार	4757 / -	--	नियमानुसार

अध्याय-12 (मेनुअल-11)

आदिम जाति कल्याण विभाग को निर्माण, तकनीकी कार्य करने के लिए प्राप्त आवंटन की जानकारी वर्ष 2005-06

क्र.	योजना का नाम	कार्य का विवरण	कार्य प्रारंभ होने का दिनांक	कार्य समापन की अनुमानित दिनांक	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय	कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	गो0ग्राम बखेड़ की अनु0जा0बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी
2		गो0ग्राम बखेड़ की अनु0जा0बस्ती में नाली निर्माण	-	-	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी
3		गो0ग्राम बखेड़ की अनु0जा0बस्ती में नवीन हैंडपंप की स्थापना	-	-	50,000 / -	50,000 / -	एक	50,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी
4		गो0ग्राम मउ की अनु0जा0बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण वार्ड क्र. 19	-	-	1,50,000 / -	1,50,000 / -	एक	1,50,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी
5		गो0ग्राम मउ की अनु0जा0बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण वार्ड क्रं. 20	-	-	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी
6		गो0ग्राम मउ की अनु0जा0बस्ती में नवीन	-	-	50,000 / -	50,000 / -	एक	50,000 / -	संबंधित निर्माण एजेंसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हैंडपंप की स्थापना							
7	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	गो0ग्राम हुलखेडी की अनु0जा0बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	—	—	2,00,000 /—	2,00,000 /—	एक	2,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
8		गो0ग्राम हुलखेडी की अनु0जा0बस्ती में नाली निर्माण	—	—	1,00,000 /—	1,00,000 /—	एक	1,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
9		गो0ग्राम हुलखेडी की अनु0जा0बस्ती में नवीन हैंडपंप की स्थापना	—	—	50,000 /—	50,000 /—	एक	50,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
10		गो0ग्राम रामगढ़ की अनु0जा0बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	—	—	2,00,000 /—	2,00,000 /—	एक	2,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
11		गो0ग्राम रामगढ़की अनु0जा0बस्ती में नाली निर्माण	—	—	1,00,000 /—	1,00,000 /—	एक	1,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
12		गो0ग्राम रामगढ़ की अनु0जा0बस्ती में नवीन हैंडपंप की स्थापना	—	—	50,000 /—	50,000 /—	एक	50,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
13		गो0ग्राम नैनवाड़ा की अनु0जा0बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	11.8.05	4.3.06	2,00,000 /—	2,00,000 /—	एक	2,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
14		गो0ग्राम नैनवाड़ा की अनु0जा0बस्ती में नाली निर्माण	11.8.05	3.3.06	1,00,000 /—	1,00,000 /—	एक	1,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
15		गो0ग्राम नैनवाड़ा की अनु0जा0बस्ती में नवीन हैंडपंप की स्थापना	11.8.05	8.1.06	50,000 /—	50,000 /—	एक	50,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी
16		गो0ग्राम गादिया में सामु0मंगल भवन	5.12.05	12.8.06	5,00,000 /—	5,00,000 /—	एक	5,00,000 /—	संबंधित निर्माण एजेंसी

		निर्माण (नरसिंहगढ़)							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	गो0ग्राम डालूपुरा की अनु0जाति बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	20.3.06	29.6.06	1,94,000 / -	1,94,000 / -	एक	1,94,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
18		गो0ग्राम गादिया की अनु0जाति बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	-	-	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
19		गो0ग्राम गिंदोरहाट की अनु0जाति बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
20		गो0ग्राम कालूखेड़ा की अनु0जाति बस्ती में सी0सी0रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
21		ग्राम बाजपुरा की अनु0जाति बस्ती में नाली निर्माण	-	-	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
22		ग्राम दाताग्राम की अनु0जाति बस्ती में नाली निर्माण	-	-	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
23		ग्राम डूंगरपुर की अनु0जाति बस्ती में नाली निर्माण	25.4.06	15.7.06	1,00,000 / -	1,00,000 / -	एक	1,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
24		ग्राम बाजपुरा की अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
25		ग्राम भोजपुरिया की अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
26		ग्राम मूंडला की अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेंसी
27		ग्राम हजारीपुरा की	-	-	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित

		अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण							निर्माण ऐजेन्सी
--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------------

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना	ग्राम डूंगरपुर की अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण	20.4.06	19.7.06	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
29		ग्राम हीरापुरा की अनु0जाति बस्ती में सी. सी. रोड़ निर्माण	---	---	2,00,000 / -	2,00,000 / -	एक	2,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
30		ग्राम मूंडला में अनु0 जाति हेतु सामु0 मंगल भव निर्माण	---	---	5,00,000 / -	5,00,000 / -	एक	5,00,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
31	छात्रावास-आश्रम भवन निर्माण	बा.प्री.मे.अनु.जा. छात्रावास, बरग्या	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
32		बा.प्री.मे.अनु.जा. छात्रावास, माचलपुर	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
33		बा.प्री.मे.वि.जा.छात्रावास, चाटूखेड़ा	---	---	16,25,000 / -	14,63,000 / -	दो	14,63,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी I
34		क0अनु0जा0आश्रम, गांधीग्राम	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण
35		क0अनु0जा0आश्रम, खिलचीपुर	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
36		बा0अनु0जा0आश्रम, जंगीबढ़	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी
37		वि.जा.सामु.क.केन्द्र, पचौर	---	---	27,00,000 / -	24,30,000 / -	दो	24,30,000 / -	संबंधित निर्माण ऐजेन्सी

अनुसूचित जाति विकास की विभागीय योजनाओं में वर्ष 2006-07 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
जिला राजगढ़ राशि लाखों में

जिला राजगढ़

माह अक्टूबर 2006

क्र.	मांग संख्या	योजना क्रमांक	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत		व्यय		अतिरिक्त आवंटन	समर्पित राशि
					संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[A] छात्रवृत्ति										
1	15	8805	प्राथमिक स्तर में बालिकाओं को छात्रवृत्तियां (1 से 5)	31.00	2143	31.71	2143	31.00	—	—
2	15	5133	अन्य छात्रवृत्तियां	—	—	—	—	—	—	—
3	49	8050	छात्रवृत्तियां (6 से 10)	43.37	16457	42.27	16457	41.14	—	—
4	64	2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (103)	35.00	2373	50.51	23.73	35.00	—	—
5	64	2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (803)	—	—	—	—	—	—	—
6	15	327	अस्वच्छ धंधे में लगे लोगों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति	14.15	53	1.79	53	0.60	—	—
7	15	2793	प्रावीण्य छात्रवृत्तियां	0.14	22	0.11	22	0.11	—	—
8	15	6175	राज्य छात्रवृत्तियां (वि.जाति)	14.00	16268	16.26	13928	13.92	—	—
9	49	1392	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां (वि.जाति)	—	—	—	—	—	—	—
10	49	2676	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (वि.जाति)	0.15	—	—	—	—	—	—

RTI 2005 Manual				District Rajgarh				DEPT :Tribal Welfare		
11	64	8735	अनु.जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय	0.50		0.50		0.50	0.20	
12	15	5134	प्रावीण्य छात्रवृत्तियां (वि.जाति)	-	-	-	-	-	-	-
13	15	4691	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा छठी)	6.435	1302	6.51	1302	3.25	0.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	15	8844	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा 9वीं)	4.31	293	2.93	293	1.465	1.75	-
			कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षां 11वीं)		140	2.80	140	1.40	-	-
15	64	6170	सामान्य ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति के प्रशिक्षणार्थियों को अतिरिक्त वृत्तियां	0.07	4	0.088	4	0.048	-	-
16	49	717	ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	-	-	-	-	-	-	-
[B] छात्रावास / शिष्यवृत्ति										
17	15	4717	अनुसूचित जाति छात्रावास (शिष्यवृत्ति)	26.80	465	20.01	465	8.00	-	-

RTI 2005 Manual			District Rajgarh				DEPT :Tribal Welfare			
18	49	1398	अनुसूचित जाति छात्रावास (शिष्यवृत्ति)	4.00	235	7.96	235	3.18	4.00	
19	64	6365	पोस्ट मैट्रिक छात्रावासियों को विशेष आगमन भत्ता	1.00	150	0.58	150	0.58	—	0.40
20	64	8806	प्रि.मैट्रिक छात्रावासों में पुस्तकालयों की स्थापना	—	—	—	—	—	—	—
21	15	495	आश्रम और शालाएं (शिष्यवृत्ति)	11.41	250	8.79	250	3.52		
22	15	4047 496 4499	विमुक्त जाति के छात्र / छात्राओं के लिये आश्रम एवं प्री.मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना	2.71	230	7.93	230	2.71	5.22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	15	5095	आश्रम / छात्रावासों का रख-रखाव एवं साज-सज्जा (सुदढी करण)	17.40	—	—	—	—	—	—
24	64	6839	नेतृत्व विकास शिविर	—	—	—	—	—	—	—
25	64	8012	शैक्षणिक संस्थाओं आश्रम,छात्रावासों हेतु उत्कृष्ट पुरस्कार	—	—	—	—	—	—	—

[C] शिक्षा (अन्य)										
26	64	5204	अनु.जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन	4.47	-	-	-	-	-	-
27	64	7562	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	5.00	90	6.60	90	2.64	2.60	
28	64	8829	अनु.जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं को स्थाई जाति प्रमाण-पत्र का प्रदाय	-	-	-	-	-	-	-
29	15	2952	बालिकाओं को गणवेश	-	-	-	-	-	-	-
30	15	3997	विद्यार्थी कल्याण	0.30	-	-	-	-	-	-
31	64	6813	साइकिलों का प्रदाय		251	-	220	-	-	-
[D] अनुदान										
32	64	671	एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिये अनुदान (64एवं49)	9.59	3	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[E] प्रशिक्षण										
33	64	2611	पी.ई.टी. / पी.एम.टी. के लिये पुस्तकों का क्रय	—	—	—	—	—	—	—
34	64	8011	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन	1.50	8	1.50	8	1.50	—	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	49	2488	पटवारी प्रशिक्षण	—	—	—	—	—	—	—
36	64	7851	युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	—	—	—	—	—	—	—
[F] शिक्षा (अन्य)										
37	64	4719	अनुसूचित जातियों के लिये सहायता योजना	0.40	2	0.02	2	0.02	—	—
38	64	4722	अनुसूचित जातियों की बस्तियों को विकास	11.91		—	—	—	—	प्रस्ताव चाहे गये हैं।
39	64	4671	अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण	0.57	—	—	—	—	—	—
40	64	7560	विशेष घटक योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान (राजस्व)	—	—	—	—	—	—	—
41	64	7560	विशेष घटक योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान (पूंजीगत)	—	—	—	—	—	—	—
42	64	5014	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि (राजस्व)	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	64	5014	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि (पूँजीगत)	—	—	—	—	—	—	—
44	64	7908	कन्या विवाह हेतु सहायता	5.85	16	0.80	16	0.80		
45	64	5214	अनु.जाति / जनजा.की बस्तियों में एक बत्ती कनेक्शन / स्ट्रीट लाइट विद्युत लाइन का विकास (103)	17.79	—	—	—	—	—	टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रिया में है।
46	64	5214	अनु.जाति / जनजा.की बस्तियों में एक बत्ती कनेक्शन / स्ट्रीट लाइट विद्युत लाइन का विकास (603)	—	—	—	—	—	—	—
47	64	5230	मजरे / टोलों का विद्युतीकरण (103)	27.32	—	—	—	—	—	—
48	64	5230	मजरे / टोलों का विद्युतीकरण (603)	—	—	—	—	—	—	—
49	64	5084	अनु.जाति / जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास (603)	3.97	—	—	—	—	—	—
50	15	6171	स्थानीय दाईयों को प्रोत्साहन योजना	—	—	—	—	—	—	—
51	49	80	अंशकालीन अध्ययन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—

[G] निर्माण/पी.सी.आर										
52	64	8807	छात्रावासों एवं आश्रमों के भवनों का उन्नयन	40.855	16	40.515	16	40.515	—	—
53	64	1400	आश्रम एवं छात्रावास भवन	16.20	8	पुनरिक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अपेक्षित है।				
54	64	5203	बांछड़ा, बेड़िया सजातीय विवाह	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	64	160	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	—	—	—	—	—	—	—
56	64	326	अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार-प्रसार (ग्राम पंचायतों को पुरस्कार)	0.05	—	—	—	—	—	—
57	64	5132	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजना (सद्भावना शिविर)	0.30	—	—	—	—	—	—
58	64	5191	अनु.जाति / जनजाति अत्या.निवारण अधि. अन्तर्गत सहायता / पुनर्वास सहायता	13.00	86 हित.	7.614	72 हित.	6.675	—	—
59	64	5191	जन जाग्रति शिविर	0.20	—	—	—	—	—	—

अनुसूचित जनजाति विकास की विभागीय योजनाओं में वर्ष 2006-07 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
जिला राजगढ़ राशि लाखों में

जिला राजगढ़

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत		व्यय		अतिरिक्त आवंटन	समर्पित राशि
			संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति	4.70	3374	5.059	3129	4.691	0.50	
अ	कक्षा 1 से 5 तक	12.00	2882	11.898	2845	11.783	1.00	
ब	कक्षा 6 से 10 तक	-	-	-	-	-	-	
2	अनुसूचित जनजाति कन्या प्रोत्साहन योजना	0.80	191	0.955	191	0.477	0.30	
अ	कक्षा 6 में अध्ययनरत		37	0.37	37	0.185	0.20	
ब	कक्षा 9 में अध्ययनरत		21	0.42	21	0.21	-	
स	कक्षा 11 में अध्ययनरत	0.76	45	-	40	-	-	
3	सायकल प्रदाय योजना	-	110	3.782	110	1.512	-	
4	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति (आश्रम)	3.85	299	6.348	299	4.09	-	
5	अनुसूचित जनजाति पो.मै.छात्रवृत्ति	8.30	-	-	-	-	-	
6	अनुसूचित जनजाति आई.टी.आई	0.32	-	-	-	-	-	
7	प्रवर्णीय छात्रवृत्ति	0.01	-	-	-	-	-	
8	विद्यार्थी कल्याण योजना	0.08	-	-	-	-	-	
9	अनुसूचित जनजाति आश्रम शाला भवन निर्माण	-	-	-	-	-	-	
10	अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979	0.05	-	-	-	-	-	

1	4	5	6	7	8	9	10	11
11	अनुसूचित जनजाति सामुहिक विवाह योजना	0.50	-	-	-	-	-	
12	मध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	0.20	44	0.027	44	0.027	-	
13	उत्कृष्ट शिक्षण को पुरस्कार	0.75	-	-	-	-	-	
14	जाति प्रामाण-पत्र का प्रदाय	0.12	-	-	-	-	-	
15	अनु. जनजाति बस्ती विकास योजना	2.66	-	-	-	-	स्वीकृति की कार्यवाही प्रकरण में	

पिछड़ा वर्ग कल्याण की विभागीय योजनाओं में वर्ष 2006-07 में प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारी
जिला राजगढ़ राशि लाखों में

जिला राजगढ़

क.	योजना का नाम	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत		व्यय		अतिरिक्त आवंटन	समर्पित राशि
			संख्या	राशि	संख्या	राशि		
1	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति	148.00	56730	143.40	15862	43.909	—	—
2	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	72.00	7998	100.04	7998	52.00	58.00	—
3	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	0.05	—	—	—	—	—	—
4	विद्यार्थी कल्याण	0.05	—	—	—	—	—	—
5	सामुहिक विवाह योजना	0.10	—	—	—	—	—	—
6	परिचय पत्रों का प्रदाय	0.50	—	0.50	—	0.50	—	—
7	पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	-	—	—	—	—	1.20	—
8	कन्या पिछड़ा वर्ग पौ.मै. छात्रावास भवन निर्माण	20.71	1	20.71	1	20.71	—	—

अध्याय -13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 विभाग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले अनुदान से संबंधित जानकारी :-

1. योजना का नाम :- अनुसूचित जाति राहत योजना नियम 1979
2. योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक (वित्तीय वर्ष)
3. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निराश्रित, असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपब्ध कराना ।
4. योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :- वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन की सीमा में ।
5. लाभार्थियों की पात्रता :- अनुसूचित जाति/जनजाति के निराश्रित, असहाय व्यक्ति जिन्हें अन्य माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान न हो ।
6. पूर्वापेक्षाएँ :- ---
7. अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जरूरत मंद व्यक्तियों द्वारा राहत --- स्वीकृति हेतु सादे कागज पर कलेक्टर/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला राजगढ़ को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना ।
8. पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड :- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण एवं उपचार हेतु आर्थिक सहायता की स्थिति में चिकित्सक का प्रमाण-पत्र आदि के आधार पर म0प्र0 ---- अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979 में निहित प्रावधानों

के अनुसार आवश्यक जांच उपरांत राहत स्वीकृत की जाती है ।

9. दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता राशि का विवरण :- प्रकरणों में अधिकतम राशि रूपये 1,000/- (एक हजार रूपये मात्र) राहत राशि स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है ।

26. वितरण की प्रक्रिया :- बैंक माध्यम से वितरण .

27. आवेदन करने हेतु कहां, किससे संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0 जिला राजगढ़

28. आवेदन/ अन्य शुल्क :- नि शुल्क है ।

29. आवेदन का प्रारूप :- शासन द्वारा कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है । कार्यालय द्वारा तैयार किया गया प्रारूप पर ।

30. संलग्न सह पत्रों की सूची :- जाति प्रमाण पत्र एवं संकटापन्न स्थिति दर्शाने वाले आवश्यक अभिलेख ।

31. प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0, जिला राजगढ़ ,

वर्ष 2006-07 में प्रदाय की गई राहत का विवरण सूची :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वर्द्धित	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला	गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री भैरूलाल	1000/-	श्री पुरालाल	संकटापन्न	राजगढ़	जीरापुर	कोड़किया	कोड़किया
2	श्री नारायण सिंह	1000/-	श्री मोंगीलाल	संकटापन्न	राजगढ़	नरसिंहगढ़	गागर	गागर

अध्याय –13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 विभाग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले अनुदान से संबंधित जानकारी :-

1. योजना का नाम :- मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कन्या विवाह (सौभाग्यवती) योजना ।
 2. योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक (वित्तीय वर्ष)
 3. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को कन्याओं के विवाह हेतु अनुदान (आर्थिक सहायता) ।
 4. योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :- वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन की सीमा अनुसार ।
 5. लाभार्थियों की पात्रता :- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के पालकों को अपनी कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता (अनुदान) राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है ।
 6. पूर्वापेक्षाएँ :- ---
 7. अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अनुसूचित जाति के हितग्राही द्वारा शासन द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में आवेदन कलेक्टर/जिला संयोजक, आ0जा0क0 जिला राजगढ़ को – प्रस्तुत करना ।
 8. पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड :- सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण/मूल निवासी प्रमाण-पत्र, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने संबंधी सूची में नाम सम्मिलित होने का प्रमाणीकरण, कन्या विवाह संबंधी प्रमाणीकरण(कन्या की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है) एक परिवार को अधिकतम दो कन्याओं हेतु आर्थिक --- सहायता राशि प्रदान की जाती है । अनुसूचित जाति कन्या विवाह --- सौभाग्यवती योजना नियम 2004 में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच उपरांत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है ।
- जाने वाले अनुदान एवं सहायता राशि का विवरण :- प्रकरणों में अधिकतम राशि रूपये 5000/- प्रति कन्या के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

9. दिए

32. वितरण की प्रक्रिया :- बैंक माध्यम से वितरण .

33. आवेदन करने हेतु कहां, किससे संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0 जिला राजगढ़

34. आवेदन/ अन्य शुल्क :- नि शुल्क है ।

35. आवेदन का प्रारूप :- शासन निर्धारित प्रारूप निः शुल्क उपलब्ध है ।

36. संलग्न सह पत्रों की सूची :- जाति प्रमाण पत्र ,मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आयु का प्रमाणीकरण, गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र इत्यादि ।

37. प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0, जिला राजगढ़ ,

वर्ष 2006-07 में प्रदाय की गई अनुसूचित जाति कन्या विवाह (सौभाग्यवती) योजना के तहत स्वीकृत अनुदान :-

विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला	गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कु0 ममता	5000 /-	प्रेमनारायण	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	वार्ड क्रं0 4	वार्ड क्रं0 4
2	कु0 नीतू	5000 /-	कन्हैयालाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	वार्ड क्रं0 4	वार्ड क्रं0 4
3	कु0 संध्या	5000 /-	दयाराम	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	जवाहरमार्ग	जवाहरमार्ग
4	कु0 सोनू	5000 /-	मथूरालाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	वार्ड क्रं0 6	वार्ड क्रं0 6
5	कु0 कोशल्या	5000 /-	बीरमलाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	भाटखेड़ी	भाटखेड़ी
6	कु0 पूजा	5000 /-	दीपचन्द	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	राजगढ़ रोड़	राजगढ़ रोड़
7	कु0 पींकी	5000 /-	रामप्रसाद	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	दीनियाखेड़ी	दीनियाखेड़ी
8	कु0 कोशल्या	5000 /-	श्यामलाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	परसूलिया	परसूलिया
9	कु0 रीना	5000 /-	देवीलाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	शाहपुरा	शाहपुरा
10	कु0 सीमा	5000 /-	देवीलाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	ब्यावरा	शाहपुरा	शाहपुरा
11	कु0 बबीता	5000 /-	रामप्रसाद	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	राजगढ़	चाटूखेड़ा	चाटूखेड़ा
12	कु0 संतोष	5000 /-	बंशीलाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	सारंगपुर	नीनोरी	नीनोरी
13	कु0 ममता	5000 /-	रामसिंह	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	सारंगपुर	भूराखेड़ी	भूराखेड़ी
14	कु0 सीमा	5000 /-	रमेशचन्द	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	सारंगपुर	शैरपुरा	शैरपुरा
15	कु0 मनोहरबाई	5000 /-	अमरसिंह	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	खिलचीपुर	बडबेली	बडबेली
16	कु0 नीरमला	5000 /-	मथूरालाल	पुत्री के विवाह हेतु	राजगढ़	खिलचीपुर	माताजी गली	माताजी गली

अध्याय -13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 विभाग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले अनुदान से संबंधित जानकारी :-

1. योजना का नाम :- अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
2. योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक (वित्तीय वर्ष)
3. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को राहत (सहायता), सहायता उपब्ध कराना ।
4. योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :- वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन की सीमा में ।
5. लाभार्थियों की पात्रता :- अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार से पीड़ितों को अधिनियम के प्रावधानानुसार ।
6. पूर्वापेक्षाएँ :- -- -- --
7. अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों पर गैर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार के प्रकरणों में थाने में पंजीकृत राहत प्रकरण जो की विशेष पुलिस थाना अ.जा.क.राजगढ़ के माध्यम से राहत प्रकरण तैयार कर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला राजगढ़ को प्रस्तुत ।
8. पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड :- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों/ परिवारों पर गैर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों/परिवारों एवं सदस्यों द्वारा अत्याचार की घटित घटनाओं के संबंध में पीड़ित द्वारा पुलिस थाने में प्रकरण पंजीकृत कराने एवं प्रकरण अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार) निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत पंजीकृत होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति (आकस्मिकता) नियम-1995 के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
9. दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता राशि का विवरण :- अधिनियम के प्रावधानानुसार
 38. वितरण की प्रक्रिया :- बैंक माध्यम से वितरण
 39. आवेदन करने हेतु कहां, किससे संपर्क करें :- पुलिस थाना /विशेष पुलिस थाना आ0जा0क0 जिला राजगढ़
 40. आवेदन/ अन्य शुल्क :- नि शुल्क है ।

41. आवेदन का प्रारूप :- (आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप में थाने द्वारा तैयार कर भेजा जाता है।)
42. संलग्न सह पत्रों की सूची :- जाति प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि ।
43. प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0, जिला राजगढ़ ,

वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण एवं आकस्मिता योजना के तहत स्वीकृत राहत राशि का विवरण)

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	अनुदान की राशि	वल्दियत	पात्रता का आधार	निवास			
					जिला	शहर	मोहल्ला	गांव
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जगदीश	1250	रुगनाथ	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	भगोरा	भगोरा
2	छोटीया	1250	रोड़जी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा
3	मोतीलाल	1250	लक्ष्मण	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	भगोरा	भगोरा
4	सीताराम	1250	भैरूलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	पीपलदा	पीपलदा
5	छोटूलाल	1250	घीसालाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खुजनेर	खुजनेर	खुजनेर
6	कैलाश	5000	मोहराबाई	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
7	रामप्रसाद	6250	जादूलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
8	गोविन्द	5000	जादूलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
9	जगदीश	5000	श्यामलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
10	राजेन्द्र	5000	अमरसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
11	रामसिंह	5000	देवीसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	शहतखेड़ी	शहतखेड़ी
12	देवीराम	6250	कालूराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बावरोन	बावरोन
13	जगदीश	5000	देवीराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बावरोन	बावरोन
14	बंसती बाई	25000	बापूलाल	बलात्कार	राजगढ़	ब्यावरा	बागोरी	बागोरी
15	ललता बाई	25000	बद्रीलाल	बलात्कार	राजगढ़	खिलचीपुर	मुण्डला	मुण्डला
16	मोती	18750	तुलसीराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	छाबड़	छाबड़
17	रामसिंह	18750	गुलजीराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामुनियागणेश	जामुनियागणेश
18	महेश	18750	रामसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	जामुनियागणेश	जामुनियागणेश
19	श्याम	1250	निर्भयसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	गंजराजगढ़	गंजराजगढ़
20	सोरमबाई	25000	मॉंगीलाल	लज्जा भंग प्रयास	राजगढ़	ब्यावरा	भीलवाड़िया	भीलवाड़िया
21	गायत्री बाई	25000	शिवचरण	लज्जा भंग प्रयास	राजगढ़	सारंगपुर	गोपालपुरा	गोपालपुरा
22	सुरेश कुमार	1250	रामलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	बांसवाड़ा राजगढ़	बांसवाड़ा राजगढ़
23	अमरसिंह	1250	भैरूलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	कालाखेत राजगढ़	कालाखेत राजगढ़
24	प्रेमसिंह	1250	लालजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	करेडी	करेडी

25	गीताबाई	1250	मॉंगीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	बानपुर	बानपुर
26	मुकेश	1250	मॉंगीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	बानपुर	बानपुर
27	संतोषबाई	25000	गंगाराम	बलात्कार	राजगढ़	राजगढ़	बमोरी	बमोरी
28	दोलाबाई	1250	पन्नालाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	सुखाबमोरा	सुखाबमोरा
29	कंवरलाल	1250	नन्दाजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	काछीखेड़ी	काछीखेड़ी
30	मॉंगीलाल	1250	कंवरलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	काछीखेड़ी	काछीखेड़ी

(2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	कालुसिंह	1250	मोहनलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	दुपाड़िया	दुपाड़िया
32	कमलीबाई	150000	स्व.रमेश	पति की हत्या	राजगढ़	राजगढ़	टंडीकला	टंडीकला
33	रतनलाल	1250	भगनजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	धतुरिया	धतुरिया
34	कंवरलाल	1250	मंगल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	उमरेड़	उमरेड़
35	बाबूलाल	1250	धुलजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	गिन्दोरहाट	गिन्दोरहाट
36	सौरमबाई	25000	मदनलाल	बलात्कार	राजगढ़	ब्यावरा	गोरधनपुरा	गोरधनपुरा
37	लक्ष्मीनारायण	1250	सीताराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	रामपुरिया अमलार	रामपुरिया अमलार
38	रमेश	1250	अर्जूनसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	सारंगपुर	तुती	तुती
39	दयालसिंह	50000	गोकूल	आप्राकृतिक कृत्य	राजगढ़	ब्यावरा	सिलपटीभाई	सिलपटीभाई
40	भंवरलाल	1250	नाथूजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	छतरपुरा	छतरपुरा
41	गोकूल	2500	मेहताब	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	खेडी	खेडी
42	मोहनलाल	6250	देवीराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	चमारी	चमारी
43	शैतानबाई	1250	पृथ्वीसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	पीपल्या बिजारेल	पीपल्या बिजारेल
44	सौरमबाई	1250	बजेसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	बामनखेड़ा	बामनखेड़ा
45	दिनेश	1250	कैलाश	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बैरासिया	बैरासिया
46	श्रीमति रीना	25000	दिनेश	लज्जा भंग का प्रयास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बैरासिया	बैरासिया
47	नारायण	1250	भूरा	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	बैरासिया	बैरासिया
48	ललताबाई	25000	शंकरलाल	लज्जा भंग	राजगढ़	जीरापुर	छतरपुरा	छतरपुरा
49	कैलाश	1250	कॉवरलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खिलचीपुर	गादियालूहार	गादियालूहार
50	रामप्रसाद	50000	तुलसीराम	आप्राकृतिक कृत्य	राजगढ़	ब्यावरा	बागोरी	बागोरी

51	श्यामलाल	1250	गेंदाजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	कांदियाखेडी	कांदियाखेडी
52	भारतसिंह	1250	छीतर	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	पाड़ली महाराजा	पाड़ली महाराजा
53	राजूबाई	1250	फूलसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खिलचीपुर	मोयाखेडी	मोयाखेडी
54	प्रेमबाई	1250	फूलसिंह	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खिलचीपुर	मोयाखेडी	मोयाखेडी
55	गोकूल	1250	नारायण	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खिलचीपुर	धुवाँखेडी	धुवाँखेडी
56	पुरालाल	1250	गोपीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	सारंगपुर	मउ	मउ
57	संम्पतबाई	1250	बालचन्द	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गादिया	गादिया
58	बालू	1250	देवा	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गादिया	गादिया
59	डालीबाई	1250	देवा	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गादिया	गादिया
60	कालूसिंह	1250	मोहनलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	दुपाडिया	दुपाडिया
61	रमेश	1250	मोहनलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	दुपाडिया	दुपाडिया
62	प्रभुलाल	1250	पन्नालाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	जीरापुर	जीरापुर
63	कमल	1250	मॉगीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	आवास कालोनी	आवास कालोनी
64	गीताबाई	1250	बालचन्द	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	झाडमउ	झाडमउ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	अर्जून	3750	देवचन्द	अपमान अभित्रास	राजगढ़	सारंगपुर	ग्वाड़ा	ग्वाड़ा
66	लाड़कुंवरबाई	25000	सुरतसिंह	लज्जा भंग का प्रयास	राजगढ़	सारंगपुर	चोड़ल्या	चोड़ल्या
67	छगनलाल	1250	हजारीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	नरसिंहगढ़	कुदाली	कुदाली
68	दिनेश	1250	टीकाराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	भंवरगंजब्यावरा	भंवरगंजब्यावरा
69	जसवंत	1250	टीकाराम	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	भंवरगंजब्यावरा	भंवरगंजब्यावरा
70	हजारीलाल	2500	छोटे लाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	तरैना	तरैना
71	राधेश्याम	1250	धूलजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	तरैना	तरैना
72	बृजमोहन	1250	हजारीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	तरैना	तरैना
73	रमेश	2500	हजारीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	ब्यावरा	तरैना	तरैना
74	चन्दाबाई	25000	बापूलाल	बलात्कार	राजगढ़	ब्यावरा	लोदीपुरा	लोदीपुरा
75	सिद्धू	1250	देवीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	सारंगपुर	दराना	दराना
76	मांगीलाल	1250	नाराण	अपमान अभित्रास	राजगढ़	सारंगपुर	कांकरिया	कांकरिया
77	जतनबाई	1250	शंकरलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	खिलचीपुर	शेरपुरा	शेरपुरा
78	जमनाबाई	1250	कंवरलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	पाटनखुर्द	पाटनखुर्द
79	गिरफाल	5000	उकारबगस	अपमान अभित्रास	राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़	राजगढ़
80	सुनीता	25000	रामप्रसाद	बलात्कार	राजगढ़	राजगढ़	उदपुरिया	उदपुरिया
81	बल्लभबाई	25000	अमरसिंह	लज्जा भंग का प्रयास	राजगढ़	राजगढ़	पांका	पांका
82	देवबाई	25000	गंगाराम	लज्जा भंग का प्रयास	राजगढ़	राजगढ़	पाटनखुर्द	पाटनखुर्द
83	प्यारा	1250	पूरा	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गोरियाखेड़ा	गोरियाखेड़ा
84	कंवरलाल	1250	देवीलाल	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गुजरखेड़ी	गुजरखेड़ी
85	मांगीलाल	1250	केशरजी	अपमान अभित्रास	राजगढ़	जीरापुर	गुजरखेड़ी	गुजरखेड़ी
86	हरिया	200	लालजी	फसलनष्ट	राजगढ़	ब्यावरा	बालचिड़ी	बालचिड़ी

अध्याय –13 (मैनुअल-12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 विभाग द्वारा प्रदाय किए जाने वाले अनुदान से संबंधित जानकारी :-

1. योजना का नाम :- अनुसूचित जाति के शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान
2. योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा :- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक (वित्तीय वर्ष)
3. योजना का उद्देश्य :- अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास हेतु ।
4. योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :- भौतिक लक्ष्य 03 संस्था एवं 06 प्रवृत्तियां वित्तीय लक्ष्य आवंटन सीमा अनुसार
5. लाभार्थियों की पात्रता :- अनुसूचित जाति के अध्ययनरत् विधार्थी ।
6. पूर्वापेक्षाएं :- ---
7. अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया :- अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 के भाग दो में निहित शर्तों एवं प्रावधानों अनुसार ।
8. पात्रता निश्चित करने के लिए मापदण्ड :- अशासकीय संस्था अनुदान नियम 1985 में निहित प्रावधानों अनुसार
9. दिए जाने वाले अनुदान एवं सहायता राशि का विवरण :- अनुरक्षण एवं व्यवस्था व्यय ।
44. वितरण की प्रक्रिया :- बैंक माध्यम से वितरण
45. आवेदन करने हेतु कहां, किस से संपर्क करें :- कलेक्टर/जिला संयोजक, आ0जा0क0 जिला राजगढ़
46. आवेदन/ अन्य शुल्क :- आवेदन पत्र निः शुल्क है । लेकिन शासन द्वारा नवीन प्रवृत्तियों पर वर्तमान में रोक है
47. आवेदन का प्रारूप निर्धारित प्रारूप में संबंधित अशासकीय संस्था द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है ।
48. प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहां संपर्क करें :- कलेक्टर/ जिला संयोजक, आ0जा0क0, जिला राजगढ़ ,

अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियां संचालित करने हेतु मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्वीकृत अनुदान का विवरण – जिला राजगढ़

क्रमांक	अशासकीय संस्था का नाम जिसे अनुदान दिया जा रहा है	संस्था द्वारा संचालित प्रवृत्तियों का विवरण	वर्ष 2005-2006 में स्वीकृत अनुदान राशि	वर्ष 2005-2006 में भुगतान अनुदान राशि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	म0प्र0हरिजन सेवक संघ, इंदौर	1. बा0 प्री-मैट्रिक छात्रावास, राजगढ़ 2. बा0 आश्रम, सारंगपुर 3. बालक आश्रम, नरसिंहगढ़	2,4952 /- 4,4563 /- 3,50322 /-	2,4952 /- 4,4563 /- 3,50322 /-	---
		योग:-	9,59,837 /-	9,59,837 /-	
2	डॉ0अम्बेडकर शिक्षा प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन समिति, पचौर	1. बा0 प्री-मैट्रिक छात्रावास पचौर	1,29,792 /-	1,29,792 /-	---
		योग:-	1,29,792 /-	1,29,792 /-	---
3	महिला मंडल, सारंगपुर	1. प्राथमिक शाला, सारंगपुर 2. अनु0जा0 बालवाड़ी, सारंगपुर	65,894 /- 67,294 /-	65,894 /- 67,294 /-	---
		योग:-	1,33,188 /-	1,33,188 /-	
	महायोग:-		12,22,817 /-	12,22,817 /-	

अध्याय -14 (मैनुअल-13)

**रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा अधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण
इस कार्यालय से संबंधित नहीं है ।**

अध्याय -15(मैनुअल-14)

कृत्यों के निर्वाहन के लिए स्थापित मानक / नियम

कार्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किए जाने वाले मानक/नियमों का विवरण :-

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (आकस्मिकता) योजना नियम- 1995
2. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति राहत योजना नियम 1979 (यथा संशोधित)
3. अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग राज्य छात्रवृत्ति योजना नियम
4. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियम
5. अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति योजना नियम
6. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना नियम
7. अनुसूचित जाति/जनजाति/विमुक्त जाति शिष्यवृत्ति योजना नियम
8. अनुसूचित जाति सामूहिक विवाह योजना नियम
9. अनुसूचित जनजाति सामूहिक विवाह योजना नियम
10. पिछड़ा वर्ग सामूहिक विवाह योजना नियम
11. मध्यप्रदेश अंतरजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम
12. मध्यप्रदेश बांछड़ा-बेड़िया सजातिय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम
13. अस्पृश्यता निवारणार्थ प्रचार-प्रसार एवं सद्भावना शिविर योजना नियम
14. अस्पृश्यता निवारणार्थ आदर्श ग्राम पंचायत पुरुस्कार योजना नियम
15. विधि स्नाताकों को आर्थिक सहायता योजना नियम
16. स्थानीय दाईयों को प्रोत्साहन योजना नियम
17. अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक एवं अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियां संचालन हेतु मान्यता प्राप्त ऐच्छिक संस्थाओं को अनुदान योजना नियम
18. मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना नियम-2004

19. जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश
20. उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना नियम
21. अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम
22. अनाबद्ध राशि योजना नियम
23. अस्वच्छ धंधों का व्यवसायीकरण योजना नियम
24. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग विधार्थी कल्याण योजना नियम
25. अनुसूचित जाति, जनजातियों के विधार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण परिक्षार्थियों को प्रोत्साहन योजना नियम
25. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989
26. म0प्र0 मूल भूत नियम 28. मण प्र0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 29, म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
30. म0प्र0 सिविल सेवा (अवकाश) नियम
31. म0 प्र0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम
- 32 म0प्र0 कोषालय संहिता 33. म0 प्र0 वित्त संहिता ---
34. म0 प्र0 बुक आफ फाईनेंशियल पावर्स
35. म0 प्र0 यात्रा भत्ता नियम
36. सामान्य भविष्य निधि नियम
37. भंडार क्रय नियम

अध्याय -16(मैनुअल-15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सुविधायें

विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हैं का विवरण :-

इलेक्ट्रानिक फार्मेट में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

अध्याय -17(मैनुअल-16)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गई व्यवस्था का विवरण :-

- 1 पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है ।
- 2 पब्लिक काउन्टर उपलब्ध नहीं है ।
- 3 अभिलेखों का निरीक्षण शाखा प्रभारी द्वारा कराया जावेगा ।
- 4 दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था शासन निर्देशानुसार रहेगी ।
- 5 उपलब्ध विभागीय मैनुअल उपलब्ध नहीं है । तथापि उपलब्ध नियम निर्देशों का विवरण अध्याय 15 मैनुअल 14 में दर्शाया गया है ।
- 6 अन्य प्रचार-प्रसार का साधन शासनादेशानुसार सद्भावना शिविरों एवं जनजागृति शिविरों का आयोजन किया जाने की व्यवस्था है ।
7. किसी भी नागरिक द्वारा विभाग से संबंधित कार्यकलापों/कार्यक्रमों से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय में संपर्क करने पर नियमानुसार संबंधित शाखा द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

अध्याय –18 (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियां

18.1 सूचना प्राप्त करने के संबंध में लोकप्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्यता पुछे जाने वाले प्रश्न:-

प्रश्न	उत्तर
1. राहत राशि स्वीकृति के संबंध में	राजस्व/मैदानी अधिकारियों से जांच कराये जाने के उपरान्त राशि स्वीकृत की जाती है ।
2. कन्या विवाह सौभाग्यवती योजना के तहत आर्थिक सहायता	समस्त अभिलेखों की पूर्ति पर आवंटन की उपलब्धता की सीमा में मैदानी अधिकारियों से जांच कराये जाने के उपरान्त राशि स्वीकृत की जाती है ।
3. छात्रावास/आश्रमों में प्रवेश बावत् ।	प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रावीण्यता के आधार पर उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जाता है ।

18.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में विवरण :-

आवेदन पत्र	शासनादेशानुसार रहेगा ।
शुल्क	शासनादेशानुसार रहेगा ।
सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से मांगी जावे	सूचना का अधिकार नियम –2005 में निहित निर्देशों अनुसार
सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया	सूचना का अधिकार नियम –2005 के अध्याय 5 की धारा 19 में दर्शाए अनुसार रहेगी ।

18.3 लोक प्राधिकरण द्वारा जनता को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में :-

विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ।

18.4 लोक प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि के संबंध में जो कि मैनुअल 13 में न सम्मिलित हों :-

जानकारी निरंक है ।

18.5 लोक प्राधिकरण में होने वाले पंजीयन के संबंध में विवरण :-

किसी प्रकार की अनुज्ञप्ति एवं लाईसेंस जारी न होने से पंजीयन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

18.6 लोक प्राधिकरण द्वारा टेक्स लेने के संबंध में विवरण :-

जानकारी निरंक है ।

18.7 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली बिजली/पानी के कनेक्शन तथा उनका विच्छेदन

लागू नहीं है ।

18.8 लोक प्राधिकरण द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली अन्य सेवाओं का विवरण :-

शासनादेशानुसार समय-समय पर लागू होने वाली समस्त नवीन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जाता है ।